राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक– 607 / 241 / NULM / तीन / 2001(SM&ID)-III दिनांक– 20-9-17

सेवा में,

1 **जिलाधिकारी / अध्यक्ष,**
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

2. **सिटी प्रोजेक्ट आफिसर / परियोजना निदेशक**
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई,
लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, आजमगढ़, बदायूं, बडौत–बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बागपत, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौसी, एटा, फैजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोण्डा, हमीरपुर, हाथरस, झांसी, कानपुर नगर, ललितपुर, लोनी–गाजियाबाद, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, सोनभद्र, रामपुर, सम्भल, शामली, सिद्धार्थनगर, सुलतानपुर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, औरैया, बलिया, बांदा, बस्ती, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, भदोही, गोरखपुर, जौनपुर, संतकबीरनगर, बुलन्दशहर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, जालौन, रायबरेली, सहारनपुर, फिरोजाबाद, उन्नाव, वाराणसी, जालौन, अम्बेडकर नगर एवं फर्रूखाबाद उ0प्र0।

विषय : (DAY)-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत गठित एवं पंजीकृत रिपोर्टेड (Area level fedration-ALF) को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0–472 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SM&ID)-III दिनांक 11.08.2017, पत्र सं0–293 / 241 / NULM / तीन / 2001(SM&ID)-II दिनांक 19.05.2017, पत्र सं0–096 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SM&ID)-II दिनांक 23.01.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पंजीकृत ALF को दिशानिर्देशों के अनुक्रम मे रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

माह अगस्त 2017 की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 13 शहरों **(मथुरा में 03, बदायूँ 02, बिजनौर 01, गोण्डा 01, महाराजगंज 01, मुरादाबाद 06, सुलतानपुर 02, एटा 01, मिर्जापुर 01, संतकबीर नगर 01, सहारनपुर 02, वाराणसी 02 एवं प्रतापगढ़ मे 01 ALF को)** द्वारा ही ALF को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किया गया है, जबकि सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा प्रेषित माह अगस्त 2017 की आख्या के अनुसार निम्नांकित शहरों में ALF का गठन कर पंजीकृत होने की आख्या प्रेषित की गई है :–

क्र.सं.	शहर का नाम	रिपोर्टेड पंजीकृत ALF की संख्या	क्र.सं.	शहर का नाम	रिपोर्टेड पंजीकृत ALF की संख्या
1	आगरा	15	35	हाथरस	3
2	अम्बेडकर नगर	4	36	जौनपुर	2
3	कानपुर देहात	2	37	झांसी	3
4	अलीगढ़	2	38	कानपुर नगर	35
5	इलाहाबाद	7	39	खलीलाबाद–संतकबीरनगर	2
6	अमेठी	1	40	खुर्जा–बुलन्दशहर	2
7	अमरोहा	2	41	ललितपुर	2
8	औरैया	2	42	लोनी–गाजियाबाद	3
9	आजमगढ़	1	43	लखनऊ	12
10	बदायूं	2	44	महाराजगंज	1
11	बागपत	1	45	महोबा	2

क्र.सं.	शहर का नाम	रिपोर्टेड पंजीकृत ALF की संख्या	क्र.सं.	शहर का नाम	रिपोर्टेड पंजीकृत ALF की संख्या
12	बहराइच	4	46	मैनपुरी	2
13	बलिया	1	47	मंझनपुर–कौशाम्बी	1
14	बलरामपुर	1	48	मथुरा	4
15	बाँदा	1	49	मेरठ	12
16	बडौत–बागपत	1	50	मिर्जापुर	3
17	बरेली	6	51	मोदीनगर–गाजियाबाद	1
18	बस्ती	2	52	मुरादाबाद	6
19	बिजनौर	1	53	मुजफ्फरनगर	1
20	बुलन्दशहर	3	54	जालौन	2
21	चन्दौली	1	55	पीलीभीत	2
22	चन्दौसी–सम्भल	2	56	प्रतापगढ़	1
23	चित्रकूट	1	57	सोनभद्र	1
24	देवरिया	2	58	रायबरेली	1
25	एटा	3	59	रामपुर	4
26	फैजाबाद	2	60	सहारनपुर	3
27	फतेहपुर	4	61	सम्भल	2
28	फिरोजाबाद	2	62	शामली	1
29	गौतमबुद्धनगर	1	63	शिकोहाबाद–फिरोजाबाद	2
30	भदोही	1	64	सिद्धार्थनगर	3
31	गाजियाबाद	5	65	सुलतानपुर	2
32	गोण्डा	4	66	उन्नाव	2
33	गोरखपुर	6	67	वाराणसी	3
34	हमीरपुर	1	68	फर्रूखाबाद	1

उल्लेखनीय है कि पंजीकृत ALF को गाइडलाइन के अनुसार रू0 50,000/– रिवाल्विंग फण्ड दिये जाने का प्रावधान है, जिसके दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा ALF को रिवाल्विंग फण्ड न दिये जाने पर निरन्तर गहरी चिन्ता व्यक्त की जा रही है, जिसके अनुक्रम मे पंजीकृत ALF को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने के निरन्तर निर्देश दिये जा रहे हैं। परन्तु उल्लिखित 13 शहरों को छोडकर किसी भी शहर द्वारा ALF को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त नहीं किया गया है। यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है।

उक्त के सम्बन्ध मे सूच्य है कि आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बरेली, बस्ती, भदोही, बुलन्दशहर, खुर्जा, चन्दौली, एटा, फिरोजाबाद, दादरी, गाजियाबाद, मोदीनगर, गोरखपुर, हमीरपुर, हाथरस, जौनपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, सन्तकबीरनगर, शामली, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, उन्नाव एवं वाराणसी मे इस घटक के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता के उपरान्त भी ALF को रिवाल्विंग फण्ड न दिया जाना चिन्ताजनक है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा विगत मे ALF हेतु स्वच्छता एक्सीलेन्स अवार्ड नामांकन मे रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त ALF को ही अर्हता की श्रेणी मे रखा गया है। जिसके दृष्टिगत ALF को स्वच्छता एक्सीलेन्स अवार्ड हेतु नामित किये जाने के लिए रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किया जाना अनिवार्य है। अवार्ड हेतु नामांकन निर्धारित समय सीमा मे निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना है, जिसके दृष्टिगत आवश्यक है कि ALF को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त करते हुए उनके द्वारा स्वच्छता आदि क्षेत्रों मे किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यो का सुचारू रूप से अभिलेखीकरण कराते हुए ससमय नामांकन कराया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत पंजीकृत ALF को तत्काल RF अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही के साथ ही इस घटक में भौतिक प्रगति के सापेक्ष वित्तीय प्रगति सुनिश्चित कराने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी / शहर मिशन प्रबन्धक, सामाजिक विकास एवं अवस्थापना को अनुपालनार्थ।
3. सम्बन्धित आर0ओ0 को अनुपालनार्थ।
4. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा उ0प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक